न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम उपखण्ड अधिकारी महोदय ओसियॉं

पीठासीन अधिकारी :– रतनलाल रेगर (आर ए एस)

प्रार्थना पत्र सख्या 169/2108

प्रार्थी :–

मियाराम पुत्र श्री धन्नाराम जाति जाट निवासी ग्राम बारा खुर्द तहसील ओसियॉं जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. सरकार जरिये तहसीलदार ओसियॉं
2. भवरसिह पुत्र श्री अनोपसिह
3. फूलसिह पुत्र श्री अनोपसिह
4. शैतानसिह पुत्र श्री अनोपसिह
5. नखतसिह पुत्र श्री अनोपसिह सभी जाति राजपूत निवासी ग्राम बारा खुर्द तहसील ओसियॉं जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :–

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार मदेरणा

अप्रार्थी सख्या 01 पैराकार सरकार उपस्थित

अप्रार्थीगण सख्या 02 से 02 से 05 अनुपस्थित

–:निर्णय :–

दिनॉंक :– 01.12.2020

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि तहसील
ओसियॉं के राजस्व गाम बारा खुर्द के खेत खसरा सख्या 403/2 रकबा 15 बीघा भूमि आयी हुई है। उक्त खसरान की
भूमि को प्रार्थी के द्वारा मूल खसरा सख्या 403 के खातेदार अनोपसिह से कय की थी उक्त बेचाननामा दिनॉंक 23.03.1998
के जरिये कय की थी तत्कालिक समय में उक्त सम्पूर्ण भूमि के खातेार अकेले अनोपसिह थे जिन्होंने वादग्रस्त भूमि के
निशान हिस्से के पड़ौस दर्शाकर तत्कालिक खातेदार अनोपसिह के द्वारा प्रार्थी को किया था तथा वक्त बेचान उक्त हिस्से
की भूमि का कब्जा भी प्रार्थी को सुपुर्द कर दिया वक्त खरीद से उक्त खसरान की भूमि पर प्रार्थी का कब्जा लगातार चला
आ रहा है। उक्त खसरा के मूल खसरा सख्या 403 रकबा 206 बीघा 15 बिस्वा भूमि वर्तमान में अप्रार्थीगण सख्या 02 से 05
की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि आयी हुई उक्त खसरान की भूमि के खातेदार अप्रार्थीगण सख्या 02 से 05 है व

Scanned with CamScanner

प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण की खेत की बीच की सीमा वर्षो से कायम है तथा प्रार्थी अपने खातेदारी की भूमि में वर्षो से सिचाई आदि करते हुए आ रहे है। प्रार्थीगण का उक्त खसरा सख्या 403/2 की भूमि में जहाँ पर कब्जा काश्त है उसे प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न नजरी नक्शे में दर्शाया गया है जिसे प्रार्थना पत्र का अंगसुमार समझा जावे। प्रार्थी के द्वारा उक्त भूमि खरीद करने के पश्चात नामान्तकरण स्वीकार किया जाकर मूल खसरा की भूमि से अलग से बटटा नम्बर दर्ज कर प्रार्थी का अलग से खाता दर्ज किया गया तात्कालिक समय में प्रार्थी का खाता केवल राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में ही अलग से दर्ज किया गया राजस्व रेकर्ड नक्शा टेस में अलग से कोई तरमीम नही की गयी थी। तत्पश्चात राजस्व कर्मचारियो के द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से तथा उक्त खसरा की भूमि के हुए बेचाननामा की जॉच किये बिना व उक्त खसरा की भूमि मे प्रार्थी के कब्जे की जॉच किये बिना ही अपनी मनमर्जी से विभाजन कर दिया जो किया जाना कतेई उचित नही था इसलिए प्रार्थी उक्त अवैधानिक तरमीम को निरस्त करवाकर बेचाननामा के अनुसार व उक्त खसरा की भूमि में कब्जा काश्त के अनुसार प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न नजरी नक्शा के अनुसार तरमीम करवाने के अधिकारी है। जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थीगण हमरा पेश है। उक्त खसरा सख्या 403/2 के नक्शा टेस की नकल प्रार्थीगण ने हल्का पटवारी से मॉगी तो हल्का पटवारी द्वारा प्राप्त नक्शा टेस का अवलोकन करने पर प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि को सहवन से राजस्व कर्मचारियो की त्रुटिवश गलत तरमीम कर दिया गया हैं जबकि राजस्व कर्मचारियो को बिना किसी सक्षम अधिकारी के अवैधानिक तरमीम को कब्जे के विपरीत व बेचाननामा के विपरीत करने का कोई अधिकार नही है। इसलिए उक्त खसरा सख्या 403/2को राजस्व रेकर्ड नक्शा टेस में तरमीम निरस्त करवाने बाबत यह प्रार्थना पत्र पेश है। अन्त में ईस्तदुआ चाही कि तहसील ओसियॉ के राजस्व ग्राम बारा खुर्द के खसरा सख्या 403/2 रकबा 15 बीघा भूमि की अवैधानिक तरमीम को निरस्त किया जाकर बेचाननामा के अनुसार व प्रार्थीगण के कब्जा काश्त के अनुसार प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न नजरी नक्शे के अनुसार राजस्व रेकर्ड नक्शा टेस में दर्ज किया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी सख्या 01 से रिपोर्ट तलब की गई जिसमें अप्रार्थीगण सख्या 01 की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया । जिसमें प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए तथ्य अंकित किए कि उक्त खसरा सख्या 403/2 की तरमीम मौके पर उक्त खसरा खसरे के खातेदारो के कब्जे से भिन्न है वर्तमान तरमीम में उक्त खसरे को उतर से दक्षिण की तरफ लम्बा एव कटाण के सहारे सहारे दर्शाया गया है जबकि खसरा सख्या 403/1 मौका स्थिति के अनुसार यह खसरा उतर से दक्षिण की ओर लम्बा होकर के पश्चिम से पूर्व की तरफ लम्बा है वर्तमान में उक्त खसरे के पडौस इस प्रकार से बताए कि पूर्व में खसरा सख्या 403 व 404, पश्चिम में सरकारी कटाणी रास्ता उतर में खसरा सख्या 403 की भूमि दक्षिण में खसरा सख्या 408 व अलाराम तथा अचलाराम के खेत है। जबाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी सख्या 01 के द्वारा वर्तमान स्थिति के अनुसार नजरी नक्शा बनाकर भी पेश किया है उक्त जबाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को प्रार्थी तथा खसरा सख्या 403 के अन्य सहखातेदारो के द्वारा भी स्वीकार किया गया है जिस पर खसरा सख्या 403 के सहखातेदारो के हस्ताक्षर भी मौजूद है। इस प्रकार से प्रभावी पक्षकारो के द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को स्वीकार किया है

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि खसरा सख्या 403/2 की भूमि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है जिसमें राजस्व कर्मचारियों के द्वारा बेचाननामा में वर्णित पडौस तथा प्रार्थी के कब्जे के अनुसार तरमीम नही कर कब्जे के विपरीत तरमीम अंकित की गई । उक्त तरमीम को दुरूस्त कर प्रार्थना

पत्र के साथ सलग्न नजरी नक्शे तथा जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित नजरी नक्शे के अनुसार दुरूस्त की जावे । अप्रार्थी पैराकार सरकार ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया हैं ।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खसरा सख्या 403 की भूमि पूर्व में अनोपसिह पुत्र श्री रामसिह की खातेदारी की भूमि थी जिसमें अनोपसिह ने अपने खातेदारी अधिकारो का प्रयोग करते हुए खसरा सख्या 403 में से 15 बीघा भूमि का बेचान प्रार्थी को किया जिसके आधार अलग से बटटा नम्बर अंकित प्रार्थी की भूमि को अलग किया गया जो वर्तमान में प्रार्थी के कब्जे की भूमि है तथा विभाजन राजस्व रेकर्ड नक्शा टेस में किया गया है वह कब्जे के विपरीत किया गया हैं इसलिए उभय पक्षकारो की सहमति के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र. स्वीकार किए जाने योग्य है।

–::आदेश ::–

अत प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि तहसील ओसियॉ के राजस्व ग्राम बारा खुर्द के खसरा सख्या 403/2 रकबा 15 बीघा भूमि की पूर्व में की गई तरमीम को निरस्त किया जाकर कर प्रार्थी के कब्जा काश्त अनुसार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न नजरी नक्शे तथा जबाब प्रार्थना पत्र में वर्णित नजरी नक्शे के अनुसार दुरुस्त करने के आदेश दिए जाते है। प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार ओसियॉ को आदेश जारी हो।

रतनलाल रेगर (आर ए एस)
सहायक कलेक्टर एवम
उपखण्ड अधिकारी ओसियॉ

निर्णय आज दिनाक 01.12.2020 को सरेईजलास सुनाया गया।

रतनलाल रेगर (आर ए एस)
सहायक कलेक्टर एवम
उपखण्ड अधिकारी ओसियॉ

Scanned with CamScanner